उत्तराखण्ड शासन,
लोक निर्माण अनुभाग–2
सं0–3168/।।।(2)/13–03 (सा0)/2008
देहरादून, दिनांक 10 मई,2013

कार्यालय ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न मार्ग निर्माण कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण संबंधी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु समय–समय पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु मण्डलीय स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1–	संबधित मण्डल के आयुक्त–	अध्यक्ष
2–	संबधित जिले के जिलाधिकारी –	सदस्य
3–	संबधित मण्डल के मुख्य वन संरक्षक –	सदस्य
4–	संबंधित मण्डल के मुख्य अभियन्ता स्तर–2,लो0नि0वि0 –	सदस्य सचिव
5–	संबधित जिले के अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 –	सदस्य
6–	कमाण्डेट, सीमा सड़क संगठन –	सदस्य
7–	मुख्य अभियन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग –	सदस्य
8–	मुख्य अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना –	सदस्य
9–	संबधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता –	सदस्य

उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अतिरिक्त अन्य विभिन्न योजनाओं में भी काफी मात्रा में मार्ग निर्माण कार्य किये जाते है, परन्तु अधिकांश मार्गो के संरेखण में पड़ने वाली वन भूमि की विधिवत् स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण मार्ग निर्माण कार्य समय से प्रारम्भ नही हो पाते है, जिससे योजनान्तर्गत लक्षित ग्रामों को शीघ्रता से सड़क संयोजकता प्रदान किया जाना सम्भव नही हो पाता है। जनपद स्तर से वन भूमि प्रस्ताव वन विभाग को भेजे जाने पर वन विभाग के वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण/वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से प्रस्तावों में इंगित आपत्तियों का निराकरण जनपद स्तर के संबंधित विभागों के माध्यम से निर्धारित समयान्तर्गत किया जाना आवश्यक होता है ताकि संबंधित मार्ग निमाण हेतु वन भूमि प्रस्ताव निरस्त होने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाये। इस हेतु जनपद स्तर पर लम्बित वन भूमि प्रस्तावों का समय–समय पर प्रभावी अनुश्रवण एवं समीक्षा किये जाने हेतु संबधित जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में समिति का गठन पूर्व में ही किया गया है।

उक्त समिति का दायित्व होगा कि विभिन्न मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, जिला स्तर पर गठित समिति के निर्णयानुसार प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत पाक्षिक समन्वय बैठक कराने तथा उक्त बैठक में वन भूमि हस्तान्तरण के लम्बित प्रस्तावों का परीक्षण संबंधित विभागीय अधिकारियों से कराते हुए समिति की आख्या प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड शासन को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जायेगा ।

संबंधित मण्डल के मुख्य अभियन्ता स्तर–2,लो0नि0वि0 जिनकों समिति में सदस्य सचिव का दायित्व दिया गया है वनभूमि हस्तान्तरण से संबंधित विभिन्न जनपदों के भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों को समिति के सम्मुख रखे जाने तथा संबधित आयुक्तों से समय–2 पर बैठक आहूत किये जाने हेतु पत्राचार/अनुरोध करेगें।

(डा0एस0एस0 सन्धू)
प्रमुख सचिव।

संख्या 3168 (1)/III(2)/13-03(सामान्य)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3- प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4- सचिव,राजस्व विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
5- आयुक्त, गढ़वाल/कुंमायु मण्डल,पौड़ी/नैनीताल।
6- प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
7- समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
8- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि लम्बित प्रस्तावों/अपेक्षित कार्यवाहियों के संबंध में अपने स्तर से भी प्रभावी पर्यवेक्षण/अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें तथा जिन विभागीय अधिकारियों के द्वारा इस कार्य में अपेक्षित रूचि नही ली जा रही है उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु भी शासन को आख्या उपलब्ध करायें।
9- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र/कुमाऊँ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा।
10- मुख्य वन संरक्षक/गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
11- कमाण्डेट, सीमा सड़क संगठन उत्तराखण्ड ।
12- मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग,लोक निर्माण विभाग,देहरादून।
13- मुख्य अभियन्ता, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना ।
14- समस्त अधीक्षण अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग,उत्त्तराखण्ड ।
15- समस्त अधिशासी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड ।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।